

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|-------|
| प्रार्थना पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
| 22/19 | 88, 89, 91, 188 RTA | भानुपुरा | दुवडा |
| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी | |
| भवता वाई | बनाम | शेख | |

वकील :- सुदाम गोपाल मारीक

आदेश पत्रक

वकील :-

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|--------|--------------------|--------------|
|--------|--------------------|--------------|

6/10/19 प्रामाणिक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 188 RTA विरुद्ध प्रार्थी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अलोकन किया, प्रमाण दर्ज रजिस्टर किया जाने तथा प्रार्थी गणों को परिचय समेत तलब कर पत्रावली दिनांक 11/3/2019 को पेश हो

11/3/19 अन्य न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 9/4/2019 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

9/4/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण उपस्थित। वास्ते पत्रावली दिनांक 23/4/19 को पेश हो।

23/4/19 अन्य न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 14/5/2019 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

14/5/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण को और से श्री नारायण लाल - दीरस्थिया पत्रावली को वकील प्रार्थी पेश हुआ पत्रावली दिनांक 25/6/19 को पेश हो।

शेख

आज पीठवासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 20/6/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

20/6/22

पत्रावली पेश हुई। नकील प्रार्थी अनुपस्थित। सर्वोक्त
प्रार्थी को तीन बार आज्ञा लगवाई गई। कोई उपस्थित
नहीं प्रकरणा अदक हाजरी अदक पेशी रकारिण
किया जाता है पत्रावली फेशल शुमार हो कर
दारिकल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)